न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 255/2015 **दायरा दिनांक : 04.11.2015**

उनवान

भंवर कंवर आयु 48 वर्ष पुत्री श्री भंगवान सिंह पत्नी श्री महावीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद, हाल निवासी कोटा, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1— रणजीत सिंह आयु 54 वर्ष पुत्र श्री भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री संजय नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.09.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या — 33/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 314 खसरा नम्बर 402 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 404 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 412 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1019/416 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1024/403 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा कुल 7 किता की 32 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित है । वादिया अपने हिस्से पर शांतिपूर्ण तरीके से निरन्तर अबाध रूप से काबिज चली आ रही है तथा वादिनी ने अपने हिस्से की आराजी 6/7 हिस्से को पांति काश्त पर मांगी लाल ब्राहमण निवासी बमोरीघाटा को दिया । प्रतिवादी एवं वादी

आपसे में सगे भाई है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं तथा शामलाती खाते की भूमि पर अपने अपने हिस्सों पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रतिवादी नम्बर 1 के मन में बदनियती आ चुकी है । वह प्रतिवादी क्रम 1 व 2 वादिया के हिस्से की भूमि हड़पने पर आमादा है एवं अवैध अनाधिकृत रूप से वादिया को बेदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहता है । वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाना आवश्यक है, अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादिया व प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन करवाया जाकर अपीलांट वादिया का 6/7 हिस्सा पृथक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाये, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्रियात्मक आदेश पारित कर प्रारम्भिक डिक्री पारित कर उक्त आराजी में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन करवाया जाकर अपीलांट वादिया का 6/7 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट का 1/7 हिस्सा पृथक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक खसरा नम्बर में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का बंटवारा कर 6/7 हिस्सा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट का 1/7 हिस्सा के नाम पृथक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना विधि संगत एवं न्याय हित में आवश्यक है । वादग्रस्त आराजी का विभाजन सही ढंग से नहीं किया गया है । राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.10.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रारम्भिक डिक्री इस बाबत पारित की गई थी कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के अनुसार बंटवारा किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत में किया गया जिसमें अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं मिला है तथा रेस्पोडेंट ने हल्का

पटवारी से मिलकर रोड़ के सहारे की खसरा नम्बर 407 अपने नाम दर्ज करवा ली । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । दावा संख्या 213/2009 तथा दावा संख्या 214/2009 वादी एवं प्रतिवादी द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध करना पाया गया है । पत्रावली संख्या 213/2009 की आर्डरशीट दिनांक 03.07.2015 के अनुसार पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई है तथा वादी की उपस्थिति का पत्रावली में उसका उल्लेख किया गया है तथा वादी ने प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में सहमति दी है इस बाबत भी उल्लेख किया गया है, परन्तु जो बंटवारा प्रस्ताव पत्रावली में उपलब्ध है उसमें केवल रणजीत सिंह रेस्पोडेंट के दिनांक 03.07.2015 के हस्ताक्षर होना पाया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है । अतः हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री पर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर तीन माह में निर्णय पारित करें । यदि बावजूद सूचना अपीलांट अथवा रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली का विस्तृत परीक्षण कर प्राथमिक डिक्री के अनुसार गुणावगुण के आधार पर अंतिम डिक्री परित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.11.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा